

मेसर्स राणा प्रताप प्रेस बनाम हरियाणा राज्य  
(एन. के. सोढ़ी, न्यायमूर्ति)

अशोक भान और एनके सोढ़ी, न्यायमूर्ति के समक्ष

मेसर्स राणा प्रताप प्रेस- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य- उत्तरदाता।

जी.एस.टी.आर. 1986 की सं. 27

8 दिसंबर, 1995

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 धारा 40- हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 - आरआई 24 (i) - करदाता प्रिंटिंग प्रेस चलाता है - पहले चरण में बिक्री कर का भुगतान करने के बाद विभिन्न प्रकार के कागज खरीदना- इसके बाद निर्धारित मुद्रण सामग्री दी गई विनिर्देशों के अनुसार - मुद्रित सामग्री की किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई उपयोगिता या उपयोग नहीं है। - मुद्रण के लिए ली गई समेकित राशि- कार्य अनुबंध के निष्पादन में मुद्रित सामग्री और पूरी बारीवस्तुओं की बिक्री नहीं होने के कारण उन्हें कर से छूट दी जाएगी।

अभिनिर्धारित किया कि ग्राहकों द्वारा दिए गए विनिर्देशों और उनके निर्देशों के अनुसार करदाता की मुद्रण सामग्री और टिब्यूनल द्वारा मुद्रित सामग्री के रूप में मुद्रित सामग्री की किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई उपयोगिता या उपयोग नहीं है। करदाता इसके लिए एक समेकित राशि भी ले रहा है। मुद्रित सामग्री जिसे बाजार में किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। इन सभी परिस्थितियों से, यह वैध रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पक्षकारोंका इरादा पारिश्रमिक के लिए काम करना था और कागज की आपूर्ति सिर्फ आकस्मिक थी। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में सामग्री मुद्रित की गई थी और पूरे कारोबार को कर से छूट दी जाएगी क्योंकि इसमें 'माल की बिक्री' शामिल नहीं थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, दूसरे प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया जाता है यानी निर्धारित के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ।

(पैरा 5)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के. पूरी।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एस. एस. खेत्रपाल।

निर्णय

एन. के. सोढ़ी, न्यायमूर्ति

1. यह आदेश हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 42 (3) के तहत बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा द्वारा

इस न्यायालय को संदर्भित मामले के एक सामान्य बयान से उत्पन्न कानून और तथ्य के समान प्रश्नों से संबंधित कानून और तथ्य के समान प्रश्न से उत्पन्न 34 सामान्य बिक्री कर संदर्भ 2 से 35 का निपटान करेगा। चूंकि 1986 के सामान्य बिक्री कर संदर्भ 27 में तर्कों को संबोधित किया गया था, इसलिए इस मामले से तथ्य लिए जा रहे हैं।

2. करदाता रोहतक में प्रिंटिंग प्रेस-1 चला रहा है। यह अधिनियम के साथ-साथ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत एक डीलर के रूप में पंजीकृत है। यह राज्य में पहले चरण में लगाए गए बिक्री कर का भुगतान करने के बाद हरियाणा राज्य के भीतर कागज के विभिन्न प्रकार की खरीद करता है। ग्राहक लेटर पैड, कैश मेमो, बिल बुक, निमंत्रण पत्र, विजिटिंग कार्ड, शादी के कार्ड, परीक्षा पत्र आदि की छपाई के लिए करदाता को अपने ऑर्डर देते हैं। उपयोग किए जाने वाले कागज की गुणवत्ता का चयन ग्राहक द्वारा किया जाता है जो मुद्रण कार्य के विनिर्देशों को भी देता है और कीमत तय करता है। • दूसरे शब्दों में, वस्तुएँ प्रत्येक ग्राहक के निर्देशों के अनुसार मुद्रित होती हैं और मुद्रित सामग्री किसी अन्य व्यक्ति या ग्राहक के किसी भी उपयोग की नहीं होती है। जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा पाया गया है, करदाता मुद्रित/ ऑर्डर की गई सामग्री के लिए एक अनिवार्य राशि का शुल्क लेता है जो ग्राहक को आपूर्ति की जाती है, जिसमें उपयोग किए गए कागज भी शामिल हैं। आकलन वर्ष 1976-77 के लिए करदाता ने अपना तिमाही रिटर्न दाखिल किया जिसमें सकल कारोबार 50,904.58 रुपये दिखाया गया। पूरी राशि को हरियाणा सामान्य बिक्री तार नियम, 1975 के नियम 24 (जे) के तहत कटौती के रूप में दावा किया गया था (इसके बाद नियम कहा जाता है) इस आधार पर कि टर्न ओवर उस कागज की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर छपाई की गई थी और जिसे पहले से ही अधिनियम की धारा 18 के तहत कर के अधीन किया गया था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि नियम 24 (जे) जैसा कि तब अस्तित्व में था, यह प्रावधान था कि एक पंजीकृत डीलर अपने सकल कारोबार से उन वस्तुओं की बिक्री को अलग कर सकता है जो पहले से ही अधिनियम की धारा 18 के तहत पहले चरण में कर के अधीन थे। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हरियाणा राज्य में कागज की सले को अधिनियम की धारा 18 के तहत पहले चरण में कर के अधीन किया जाता है। आकलन प्राधिकरण ने रिटर्न को स्वीकार कर लिया और एक आकलन तैयार किया जिसके आधार पर करदाता की कर देनदारी शून्य थी। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिनियम की धारा 40 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और सुनवाई के बाद करदाता को 50,904.58 पीएस के बजाय केवल 33,044 रुपये की कटौती की अनुमति दी, जो कागज का खरीद मूल्य था और शेष कारोबार कर के अधीन था। कर निर्धारण प्राधिकरण के आदेश को तदनुसार संशोधित किया गया और इस प्रकार 1,102 रुपये की कर मांग की गई। पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश से व्यथित होकर करदाताओं ने बिक्री कर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील

मेसर्स राणा प्रताप प्रेस बनाम हरियाणा राज्य  
(एन. के. सोढ़ी, न्यायमूर्ति)

करने को प्राथमिकता दी। ट्रिब्यूनल के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि संशोधन प्राधिकरण नियम 24 (जे) के तहत कटौती को केवल कागज के खरीद मूल्य तक सीमित करने में सही नहीं था और यह हकदार था कि वह इसका हकदार था। अधिनियम की धारा 18 के तहत कर के अधीन माल के बिक्री मूल्य में कटौती करें। यह भी आग्रह किया गया था कि करदाता केवल एक नौकरी का काम कर रहा था जो 'बिक्री' के बराबर नहीं था और, वहां! - उदाहरण के लिए, पूरा कारोबार बिक्री कर के लिए पात्र नहीं था। ट्रिब्यूनल ने पहले विवाद पर पुनरीक्षण प्राधिकरण के तर्क और निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि नियम 24 (जे) के तहत बी 1 ई की कटौती की अनुमति उन वस्तुओं के मूल्य को संदर्भित करती है जिन्हें पहले चरण में कराधान का सामना करना पड़ा था यानी माल का खरीद मूल्य। इस निष्कर्ष को रिकॉर्ड करने पर, ट्रिब्यूनल ने उसके समक्ष उठाए गए अन्य तर्कों की जांच किए बिना अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद करदाता द्वारा दायर एक आवेदन पर, ट्रिब्यूनल ने कानून के किसी भी प्रश्न को इस न्यायालय में भेजने से इनकार कर दिया। हालांकि, अधिनियम की धारा 42 (3) के तहत इस न्यायालय द्वारा जारी एक निर्देश पर, ट्रिब्यूनल ने हमारे निर्णय के लिए कानून के निम्नलिखित दो प्रश्नों को संदर्भित किया है: —

“(i) क्या हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 के नियम 24 (जे) की सही व्याख्या और आवेदन पर, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, ट्रिब्यूनल हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत आबकारी और कराधान अधिकारी (निरीक्षण) रोहतक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को बरकरार रखने के लिए कानूनी रूप से उचित था?

(ii) क्या कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने पर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, कार्य और श्रम का अनुबंध या बिक्री के लिए अनुबंध के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने पर, करदाता द्वारा किए गए लेनदेन (जिसका मूल्य या कारोबार मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा कटौती के रूप में अनुमति दी गई थी) बिक्री के बराबर नहीं था; और इस तरह हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत आबकारी और कराधान अधिकारी (निरीक्षण) रोहतक द्वारा पारित आदेश अवैध, गैरकानूनी और टिकाऊ नहीं है?

(3) चूंकि हम करदाता के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के इच्छुक हैं, इसलिए हमारे लिए न्यायाधिकरण द्वारा भेजे गए पहले प्रश्न की जांच करना आवश्यक नहीं होगा। इस मामले में तथ्य विवाद में नहीं हैं। जैसा कि पहले देखा गया है कि करदाता एक प्रिंटिंग प्रेस चला रहा है, बिल बुक, वाउचर, लेटर पैड, प्रश्न पत्र आदि प्रिंट कर रहा है, जैसा कि उसके ग्राहकों द्वारा आवश्यक है, जिसके लिए वह अपने स्वयं के कागज और अन्य सामग्रियों

का उपयोग करता है। करदाता के वकील का तर्क यह है कि करदाता ने केवल एक कार्य अनुबंध निष्पादित किया जिसके लिए उसने अपने स्वयं के कागज का उपयोग किया और मुद्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज की बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उस कागज की बिक्री के लिए पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं था। करदाता के अनुसार समझौता केवल आदेश के अनुसार मुद्रित सामग्री की आपूर्ति करने के लिए था और कागज में संपत्ति का हस्तांतरण केवल आकस्मिक था। राजस्व विभाग के अभिवक्ता ने हालांकि दलील दी कि आवेदक और उसके ग्राहकों के बीच अनुबंध कागज की आपूर्ति के साथ-साथ करदाता द्वारा प्रदान किए गए श्रम और सेवा के लिए एक संयुक्त अनुबंध था। **मद्रास राज्य बनाम मद्रास में गैरन डंकरले** (1), सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सही मायने में 'माल की बिक्री' शब्द का अर्थ उन वस्तुओं की बिक्री के लिए पार्टियों के बीच एक समझौता है जिसमें संपत्ति की स्थिरता होती है और एक भवन अनुबंध में जहां पार्टियों के बीच समझौता यह था कि ठेकेदार को इमारत का निर्माण करना चाहिए। करार में निहित विनिर्देशों के अनुसार और उसमें किए गए प्रावधान के अनुसार प्राप्त भुगतान के लिए, न तो निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों को बेचने के लिए कोई अनुबंध था और न ही उसमें पारित संपत्ति को चल संपत्ति के रूप में पारित किया गया था। इस तरह के अनुबंध को एक, संपूर्ण और अविभाज्य माना जाता था और इसमें शामिल वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं होती थी ताकि इस तरह के अनुबंध में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की आपूर्ति पर कर लगाया जा सके। विद्वान न्यायाधीशों ने यह भी देखा कि एक अनुबंध के पक्ष अलग-अलग और अलग-अलग अनुबंधों में प्रवेश कर सकते हैं, एक धन के लिए सामग्री के हस्तांतरण के लिए और दूसरा सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के भुगतान के लिए और किए गए काम के लिए। ऐसे मामले में, वास्तव में दो समझौते हैं, हालांकि उन्हें मूर्त रूप देने वाला एक साधन है। इस स्थिति में राजस्व के लिए दो समझौतों को अलग करना और सामग्री की बिक्री पर कर लगाना खुला है।

(1) 9 एस.टी.सी. 353.

- (4) पक्षों के अभिवक्तियों द्वारा दी गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने पर, हमारे विचार के लिए यह सवाल उठता है कि क्या वर्तमान मामले की परिधि में करदाता द्वारा किया गया मुद्रण कार्यकार्य अनुबंध का निष्पादन है या क्या सामग्री की आपूर्ति और करदाता द्वारा प्रदान किए गए श्रम और सेवा के लिए एक संयुक्त अनुबंध है। यदि अनुबंध एक 'संपूर्ण और अविभाज्य' है तो माल की कोई बिक्री नहीं हो सकती है और कारोबार कर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन अगर अनुबंध एक समग्र है, फिर कागज की बिक्री पर कर लगाया जा सकता है जैसा कि राजस्व द्वारा दावा किया गया है। क्या कोई

मेसर्स राणा प्रताप प्रेस बनाम हरियाणा राज्य  
(एन. के. सोढ़ी, न्यायमूर्ति)

लेनदेन एक कार्य अनुबंध है या नहीं, यह एक निर्णय है जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों पर निर्भर करता है और ध्यान में रखा जाने वाला बिंदु यह है कि लेनदेन को समग्र रूप से देखने वाले दलों का इरादा क्या है। यह पता लगाना होगा कि अनुबंध काम या सेवा के लिए है या यह किसी सामान की बिक्री के लिए है। पहले मामले में व्यक्ति सेवा कर रहा है या प्रदान कर रहा है और पूरी तरह से संपत्ति में कोई भी संपत्ति नहीं है, भले ही उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली एक हिस्सा या यहां तक कि पूरी सामग्री उसकी संपत्ति हो। बाद के मामले में अनुबंध माल की बिक्री के लिए होता है जिसमें उन सामानों में संपत्ति गुजरती है। **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु आनंदम विश्वनाथन** (2) ने सवाल उठाया कि क्या प्रश्न पत्रों की छपाई के शुल्क को करदाता के आकलन योग्य कारोबार में शामिल किया जा सकता है। करदाता की ओर से दलील दी गई कि यह अनुबंध काम और श्रम के लिए था और कोई बिक्री कर नहीं लगाया जाता था। राजस्व ने तर्क दिया कि अनुबंध मुद्रित सामग्री की बिक्री के लिए था। मामले के कानून को देखने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार टिप्पणी की : —

(2) 73 S.T.C. 1

“काम या सेवा के लिए अनुबंध और बिक्री के लिए अनुबंध के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि पूर्व में सेवा करने या प्रदान करने वाले व्यक्ति में पूरी तरह से उत्पादित चीज में कोई संपत्ति नहीं होती है, इसके बावजूद कि उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली एक हिस्सा या यहां तक कि पूरी सामग्री उसकी संपत्ति हो सकती है, जहां किसी विशेष ग्राहक को आपूर्ति किया गया तैयार उत्पाद इस अर्थ में एक वाणिज्यिक वस्तु नहीं है कि इसे बाजार में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है, लेनदेन केवल एक कार्य अनुबंध है। **कोर्ट प्रेस जॉब ब्रांच, सलेम बनाम तमिलनाडु राज्य** (1983) 54 एसटीसी 382 (मद्रास) और **बिक्री आयुक्त कर बनाम रथ फाइन आर्ट्स प्रिंटिंग प्रेस** (1982) 56 एसटीसी 77 \* (एमपी) में टिप्पणियों को देखें ।

हमारी राय में, प्रत्येक मामले में अनुबंध और लेनदेन की प्रकृति का पता लगाया जाना चाहिए। और यह तभी संभव है जब पक्षकारों की मंशा का पता चल जाए। तथ्य यह है कि काम के लिए एक अनुबंध के निष्पादन में कुछ सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और इस तरह उपयोग किए गए माल में संपत्ति, दूसरे पक्ष को जाती है, काम करने का वचन देने वाले ठेकेदार को आवश्यक रूप से सामग्री बेचने के लिए नहीं माना जाएगा। नौकरी के काम का कौन सा हिस्सा उससे संबंधित है या नहीं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, लेनदेन की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस माल के निष्पादन में काम के लिए एक अनुबंध किया जाता है, वह **आंध्र प्रदेश सरकार**

**बनाम गुंटूर तंबाकू** (1965) 16 एसटीसी 240 में इस न्यायालय द्वारा उल्लिखित तीन रूपों में से कोई भी रूप ले सकता है। इस मामले में अनुबंध को एक समग्र माना गया था क्योंकि निर्धारिती द्वारा तैयार किए गए मांग नोटों में कागज की लागत को अलग से दिखाया गया था और इस तथ्य से यह अनुमान लगाया गया था कि करदाता ने कागज की आपूर्ति को अलग-अलग माना और इसलिए, समग्र अनुबंध को कागज की बिक्री और काम और श्रम के लिए अनुबंध के लिए अनुबंध में विभाजित किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुद्रण प्रभारी के संबंध में बिक्री कर के लिए कोई देयता नहीं हो सकती है।

- (5) हालांकि, हमारे सामने जो मामला है, उसमें करदाता ग्राहकों द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार सामग्री प्रिंट कर रहा है और उनके निर्देशों पर और ट्रिब्यूनल द्वारा पाई गई मुद्रित सामग्री की किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई उपयोगिता या उपयोग नहीं है। करदाता मुद्रित सामग्री के लिए एक समेकित राशि भी ले रहा है, जिसे बाजार में किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। इन सभी परिस्थितियों से, यह वैध रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पार्टियों का इरादा पारिश्रमिक के लिए काम करना था और कागज की आपूर्ति सिर्फ आकस्मिक थी। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि सामग्री एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में मुद्रित की गई थी और पूरे कारोबार को कर से छूट दी जाएगी क्योंकि इसमें 'माल की बिक्री' शामिल नहीं थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, दूसरे प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया जाता है यानी निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ।

- (4) हमें संदर्भित दूसरे प्रश्न पर हमारी खोज को ध्यान में रखते हुए, पहले प्रश्न पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, संदर्भों का उत्तर दिया गया है, जिससे पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

जे.एस.टी.

मेसर्स राणा प्रताप प्रेस बनाम हरियाणा राज्य  
(एन. के. सोढ़ी, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

खुश करण जोत सिंह गिल  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी